संख्या-681जे0एल0/22-3-2024-ई-1877808

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13-12-2024

विषय:- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध विचाराधीन/सिद्धदोष बंदी राज कुमार तिवारी पुत्र श्री दूधनाथ तिवारी को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-36992/सामा-1(5)/95/बंदी स्था0/2024, दिनांक 05-12-2024 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध विचाराधीन/सिद्धदोष बंदी राज कुमार तिवारी पुत्र श्री दूधनाथ तिवारी (बंदी संख्या-196/2024), निवासी हमीदपुर बड़ागांव, थाना-ऊंचाहार, जनपद-रायबरेली को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज/रायबरेली।

5- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।

6-वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज एवं जिला कारागार, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।